स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

<u>प्रेस नोट संख्याः 289, दिनांकः 23–09–2024</u>

दिनांक 28-08-2024 को जनपद सुलतानपुर में भरत ज्वैलर्स के यहां दिनदहाड़े डकैती करने वाले गिरोह का मुख्य सदस्य एवं रूपये 1,00,000/- का पुरस्कार घोषित दुर्दान्त अन्तर्राज्यीय अपराधी अनुज प्रताप सिंह एसटीएफ के साथ साहसिक मुठभेड़ में घायल, जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु।

जनपद सुलतानपुर में आभूषण व्यवसायी भरत ज्वैलर्स के यहाँ दिनदहाड़े डकैती करने वाले गिरोह का मुख्य सदस्य एवं मु0अ0सं0 578/2024 धारा 310(2)/311/317(3) बी0एन0एस0 में वांछित रू0 1,00,000/– का पुरस्कार घोषित दुर्दान्त अन्तर्राज्यीय अपराधी अनुज प्रताप सिंह के साथ आज दिनांक 23–09–2024 के प्रातः थाना क्षेत्र अचलगंज, जनपद उन्नाव में हुई एसटीएफ की साहसिक मुठभेड़ में घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार हेतु सीएचसी अचलगंज, उन्नाव भेजा गया, प्राथमिक उपचार के उपरान्त जिला अस्पताल रेफर किया गया जहॉ पर चिकित्सको द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया।

<u>मृतक अभियुक्त का विवरण–</u>

अनुज प्रताप सिंह पुत्र धर्मराज सिंह निवासी ग्राम जनापुर, थाना मोहनगंज, अमेठी।

<u>बरामदगी–</u>

1– लगभग 4.182 कि0ग्रा0 चाँदी के जेवरात।
2– 02 अदद पिस्टल 32 बोर।
3– 03 अदद कारतूस जिन्दा 32 बोर (01 अदद पिस्टल की चेम्बर व 02 अदद मैग्जीन)
4– 07 अदद खोखा कारतूस 32 बोर
5– 01 मोटरसाइकिल हीरो पैशन प्रो
6– 01 अदद पिट्ठू बैग।

<u>घटनास्थल का दिनांक/समय/स्थान–</u>

दिनांक 23–09–2024, कोलुहागाड़ा थाना क्षेत्र अचलगंज, जनपद उन्नाव। समय लगभग 03.45 बजे प्रातः।

दिनांक 28–08–2024 को जनपद सुलतानपुर के नगर कोतवाली क्षेत्र में भरत ज्वैलर्स की दुकान मे दुस्साहसिक डकैती हुई। इस डकैती के सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर में मु0अ0सं0 578/2024 धारा 310(2)/311/317(3) बी0एन0एस0 पंजीकृत हुआ।

इस दुस्साहसिक डकैती के अनावरण हेतु एसटीएफ की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में श्री प्रमेश कुमार शुक्ल, पुलिस उपाधीक्षक एसटीएफ, लखनऊ के नेतृत्व मे एसटीएफ मुख्यालय लखनऊ की टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के क्रम में दिनांक 22–09–2024 को सूचना प्राप्त हुई कि जनपद सुलतानपुर में हुई ज्वैलरी शॉप में हुई डकैती का मुख्य सदस्य अनुज प्रताप सिंह एक अन्य साथी के साथ गंगाकटरी क्षेत्र उन्नाव में आया हुआ है तथा लूटी हुई ज्वैलरी को किसी के

पास छिपाकर रखा हुआ है। जिसे लेकर आज रात्रि में अपने साथी के साथ रायबरेली के लिए मोटर साइकिल से निकलेगा, जो घातक शस्त्रों से लैश है। इस सूचना पर श्री प्रमेश कुमार शुक्ल पुलिस उपाधीक्षक एसटीएफ लखनऊ के नेतृत्व में निरीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह, उ0नि0 सौरभ मिश्र, मु0आ0 संतोष कुमार सिंह, अंजनी कुमार यादव, राज कुमार शुक्ला, बरनाम सिंह, कवीन्द्र साहनी, यशवन्त सिंह कमाण्डो रवि वर्मा, चालक नागेन्द्र मिश्र व चालक अवधेश की टीम रवाना होकर जनपद उन्नाव में भ्रमणशील हुए। एसटीएफ टीम गदनखेड़ा बाई पास चौराहे पर मौजूद थी, इस दौरान मुखबिर के माध्यम से ज्ञात हुआ कि सुलतानपुर ज्वैलरी शॉप में हुई डकैती का सदस्य अनुज प्रताप सिंह अपने एक अन्य साथी के साथ थाना क्षेत्र अचलगंज, जनपद उन्नाव के कोलुहागाड़ा के कटरी क्षेत्र में कही छिपा है तथा आज ही रात्रि में अपने साथी के साथ लूटे हुए माल को लेकर मोटर साइकिल से किसी ज्वेलर्स को बेचने के लिए जाने वाला है। दिनांक 22–09–2024 को एसटीएफ टीम प्राप्त सूचना पर विश्वास करते हुए रायबरेली–उन्नाव हाईव के कोलुहागाड़ा से अचलगंज जाने वाले अण्डर पास पर समय 10.45 बजे रात्रि में पहुॅचकर 02 अलग–अगल टीमें प्रथम टीम श्री प्रमेश कुमार शुक्ल, पुलिस उपाधीक्षक, उ0नि0 श्री सौरभ मिश्र, मु0आ0 बरनाम सिंह, कवीन्द्र साहनी कमा0 रवि वर्मा तथा द्वितीय टीम निरीक्षक संतोष कुमार सिंह, मु0आ0 संतोष कुमार सिंह, अंजनी यादव, राज कुमार शुक्ला, यशवन्त सिंह बनायी गयी। प्रथम टीम द्वारा कोलुहागाड़ा अचलगंज मार्ग के पश्चिम को जाने वाले कच्चे मार्ग एवं द्वितीय टीम कोलुहागाड़ा अचलगंज मार्ग के पूर्व जाने वाले खड़ण्जा रोड पर भौगोलिक स्थित के अनुसार व्यवस्थित होकर चेंकिग प्रारम्भ की गयी। चेकिंग के दौरान टार्च की रोशनी में एक मोटर साइकिल काफी तेज गति से कोलुहागाड़ा की ओर से आती हुई दिखायी दी। जिसे देखकर मुखबिर ने बताया कि यही अनुज प्रताप सिंह व उसका साथी है और मुखबिर चला गया। उक्त मोटर साइकिल सवार व्यक्तियों को रोकने का प्रयास किया गया किन्तु मोटर साइकिल सवार चालक ने गाड़ी को कच्चे मार्ग की तरफ मोड़ना चाहा कि घास व गीली मिट्टी होने के कारण फिसलकर गिर गये। जिस पर पुलिस टीम द्वारा अपना परिचय देते हुए आत्मसमर्पण हेतु कहा गया, तो मोटर साइकिल चालक जिसको मुखबिर द्वारा अनुज प्रताप सिंह के रूप में चिन्हित किया गया था, व उसके साथी पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग करने लगे। जिससे एसटीएफ टीम वाले बाल–बाल बचे। एक बदमाश कोलुहागाड़ा–अचलगंज मार्ग के पूर्वी ओर दूसरा बदमाश सड़क की पश्चिमी खेतो की ओर से एसटीएफ टीम पर फायरिंग की जाने लगी। जिसमें श्री प्रमेश कुमार शुक्ला पुलिस उपाधीक्षक के काफी नजदीक के गोली निकल गयी तथा मु0आ0 कमा0 रवि वर्मा को एक गोली लगी जो बुलेट प्रूफ जैकेट पहने होने के कारण दैव योग से उसकी जान बच सकी।

बदमाशों की फायरिंग रेन्ज में होते हुए अपनी जान की परवाह न करते हुए श्री प्रमेश कुमार शुक्ला, पुलिस उपाधीक्षक, उ0नि0 श्री सौरभ मिश्र, मु0आ0 राज कुमार शुक्ला, कवीन्द्र साहनी द्वारा फील्ड कौशल का प्रयोग करते हुए अपनी–अपनी जान की परवाह किये बिना अदम्य साहस व शौर्य का परिचय देते हुये बदमाशों की फायरिंग रेंज में घुसकर आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गयी जो मोटर साइकिल चालक अनुज प्रताप सिंह को जाकर लगी। जिससे वह सड़क के किनारे घायल होकर गिर गया। उसकी तरफ से फायरिंग बन्द होने पर टार्च की रोशनी में देखा गया तो परिलक्षित हुआ कि वह गम्भीर रूप में लहुलुहान होकर घायल अवस्था में पड़ा था जिसके जीवन रक्षा को प्राथमिकता देते हुए तत्काल सी0एच0सी0 अचलगंज भेजा गया जहॉ से प्राथमिक उपचार के उपरान्त जिला अस्पताल उन्नाव को रेफर कर दिया गया जहॉ पर उसे चिकित्सको द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। मृतक बदमाश

की पहचान अनुज प्रताप सिंह पुत्र धर्मराज सिंह निवासी ग्राम जनापुर, थाना मोहनगंज, जनपद अमेठी के रूप में हुई। दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाते हुए भागने में सफल रहा।

मुठभेड़ के दौरान एसटीएफ टीम द्वारा अदम्य साहस व शौर्य का प्रदर्शन किया गया तथा मा0 मानवाधिकार आयोग के निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया।

मृतक अनुज प्रताप सिंह एक पेशेवर लूटेरा था, इसके द्वारा निम्न अपराधिक घटनाएं की गयी है:-

दिनांक 11–08–2023 को यह अपने गिरोह के 06 सशस्त्र एवं सक्रिय अपराधियों के साथ मिलकर हेलमेट पहनकर एवं गमछे से मुंह बांधकर थाना क्षेत्र सचिन, सूरत स्थित महाराष्ट्रा बैंक की बन्ज शाखा में दिनदहाड़े बैंक मैनेजर, बैंक कर्मियों एवं ग्राहको को बन्धक बनाकर डकैती डाला था। इस डकैती में लगभग 13 लाख ये अधिक रूपये मिले थे। इस घटना के सम्बन्ध में थाना सचिन, जनपद सूरत (गुजरात) में अभियोग पंजीकृत हुआ था। उक्त बैंक डकैती की घटना को कारित करने के लिए इसके द्वारा थाना कठोदरा क्षेत्र जनपद सूरत गुजरात से वाहन चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। जिसे महाराष्ट्रा बैंक की डकैती में इस्तेमाल भी किया गया था। इस डकैती की घटना में यह जेल चला गया था। जमानत पर जेल से रिहा होने के उपरान्त उत्तर प्रदेश वापस आ गया।

दिनांक 28–08–2024 को अपने साथियों के साथ मिलकर जनपद सुलतानपुर में भरत ज्वैलर्स की दुकान मे दुस्साहसिक तरीके से दिनदहाड़े डकैती की घटना को अंजाम दिया। जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर में मु0अ0सं0 578/2024 धारा 310(2)/311/317(3) बी0एन0एस0 पंजीकृत हुआ था, जिसमे यह वांछित चल रहा था एवं इसकी गिरफ्तारी हेतु रू0 1,00,000/– का पुरस्कार घोषित था।

यह किसी बड़ी घटना को अंजाम देने से पूर्व सुनियोजित तरीके से वाहनों की चोरी करके उसी चोरी के वाहनों का ही प्रयोग डकैती/लूट की घटनाओं में करता था, जिससे कि वाहन के माध्यम से इसकी शिनाख्त न हो सके।

<u>उपरोक्त अनुज प्रताप सिंह का ज्ञात आपराधिक इतिहास निम्नवत् है:-</u>

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	11210045232085/23	395, 397, 450, 342, 120बी भादवि, 25(1)(ए) आर्म्स एक्ट व 135 (1) जी0पी0 एक्ट	सचिन	सूरत गुजरात
2	11214023231525/23	114, 379 भादवि	कठोदरा	सूरत गुजरात
3	578/2024	310(2)/311/317(3) बीएनएस	कोतवाली नगर	सुलतानपुर
4	303/2024	109 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट	अचलगंज	उन्नाव

इसके विरूद्ध अन्य अभियोगों के बारे में जानकारी की जा रही है। उपरोक्त मुठभेड़ के सम्बन्ध में थाना अचलगंज, जनपद उन्नाव में मु0अ0सं0 303/2024 धारा 109 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है जिसमें अग्रिम वैधानिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।